UPCD010001282011

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
आसीन : अशोक कुमार –XI, एच.जे.एस.
(J.O.Code U.P. 6128)

सत्र परीक्षण संख्या : 10 सन् 2011

उत्तर प्रदेश राज्य – – – अभियोजन पक्ष।

बनाम

राजेश पाठक पुत्र स्व. परशुराम पाठक, निवासी ग्राम–मझवारी, थाना– सिमरी, जनपद– बक्सर (बिहार)। – – – अभियुक्त।

मु.अ.सं. : 391 सन् 2010
धारा : 41/411/413/414 भा.दं.सं.
थाना : जी.आर.पी.मुगलसराय जनपद : चन्दौली।

**निर्णय**

**1.** पुलिस थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय (डी.डी.यू.), जनपद– चन्दौली द्वारा अभियुक्त राजेश पाठक पुत्र स्व. परशुराम पाठक के विरुद्ध मु.अ.सं. 391/2010, अन्तर्गत धारा 41/411/413/414 भारतीय दण्ड संहिता में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या 10/2011 में अभियुक्त राजेश पाठक पुत्र स्व. परशुराम पाठक को अपराध अन्तर्गत धारा– 41/411/413/414 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपित कर विचारण किया गया है।

**2.** यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत सत्र परीक्षण, माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार **APAaR-DJ** की पत्रावली होने के कारण इसका विचारण वरीयता के आधार पर किया गया है।

**3.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,

**4.** वादी राजेश प्रसाद यादव, उपनिरीक्षक, जी.आर.पी. मुगलसराय (डी. डी.यू.), जनपद– चन्दौली द्वारा तैयार की गयी तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय (डी.डी.यू.) में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी किः–

प्रसंग – मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भारतीय दण्ड संहिता एस.बी.आई.

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.04.13 16:15:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय से सम्बन्धित चोरी का माल व अन्य चोरियों के माल बरामदगी के सम्बन्ध में :–

1. जब्ती की तिथि व समय – दिनाँक 26.06.2010 को 16:45 बजे।

**2.** जाँच का स्थान – राजेश पाठक पिता परशुराम पाठक, ग्राम मझवारी, थाना– सिमरी, जिला– बक्सर के ससुर राजेन्द्र शर्मा पिता हरिहर शर्मा, ग्राम–रानीगंज नीचे बाजार, थाना इमामगंज, जिला– गया के मकान से।

**3.** गवाहों का नाम व पता– 1. हरिहर शर्मा पिता स्व. पंडित रामलोचन शर्मा
2. सन्तोष कुमार पिता स्व. रामपति प्रसाद,
दोनो ग्राम– रानीगंज नीचे बाजार, थाना–इमामगंज, जिला– गया।

**4.** जब्त सामानों का विवरण– 1.(i) एक आसमानी रंग का टाइटन कम्पनी का लॉक टूटा हुआ अटैची, जिसके अन्दर चार सिंथेटिक साड़ी विभिन्न रंग का एवं एक सूती साड़ी।

(ii) ब्लाउज का पीस दस अदद

(iii) एक फ्राक

(iv) एक सूट का कपड़ा

(v) एक नाईस (तरंग) कम्पनी का गंजी

(vi) चार पुराना ब्लाउज एवं एक पेटीकोट

(vii) एक मौगा

(viii) दो साड़ी फाल

2.(i) एक स्लेटी रंग का पुराना अटैची अल्फा कम्पनी का, जिसमें– (ii) साड़ी आठ अदद विभिन्न रंग का

(iii) शर्ट–पैण्ट चार पीस

(iv) एक सिल्क का कुर्ता का कपड़ा

(v) ब्लाउज का कपड़ा दो पीस

(vi) बनियान तीन नया अदद

(vii) एक पुराना लेडिज स्वेटर

(viii) एक टाईटन कम्पनी का लेडिज घड़ी तथा एक रोबाइल कम्पनी का लेडिज घड़ी।

3. (i) एक खाकी रंग का बैग, जिसपर डाइरेक्ट चुवाई लिखा हुआ, जिसमें-(ii) एक साड़ी एवं दो ओढ़नी एवं तीन ब्लाउज, एक नया ब्लाउज का पीस।

4. (i) एक काला लाल रंग का बैग, जिसपर अंग्रेजी फ्रेन्डेस लिखा हुआ है- (i) आठ सिर्थेटिक साड़ी विभिन्न रंग का।

(ii) पुराना ब्लाउज ग्यारह अदद

(iii) एक फ्राक तथा पुराना पैजामा

5. एक लेडिज पर्स फोम का कथा रंग का, जिसके अन्दर-(i) पंजाब नेशनल बैंक नगमा ब्रांच का एकाउण्ट नंबर-1614000100059780

(ii) एक इलाहाबाद बैंक का प्रताप सागर ब्रांच का पास-बुक, जिसका अकाउण्ड नंबर-2856

(iii) सैतीस सौ (3,700/-) रुपया

(iv) एक पीला धातु जैसा लाकेट तथा एक पैन तथा कान का एक जोड़ा झूमका

(v) एक सोनाटा कम्पनी का लेडिज घड़ी।

**5.** वादी मुकदमा राजेश प्रसाद यादव द्वारा तैयार की गयी तलाशी-सह-जब्ती सूची के आधार पर थाना- जी.आर.पी. मुगलसराय में अभियुक्त राजेश पाठक पुत्र स्व. परशुराम पाठक के विरुद्ध मु.अ.सं. 391/2010, धारा- 41, 411, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 दर्ज की गयी, जिसकी प्रविष्टि कायमी मुकदमा जी.डी. प्रदर्श क-3 में की गयी।

**6.** मामले की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं गवाहों का बयान अंकित किया तथा घटनास्थल/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया। साक्षियों के बयान, घटनास्थल/बरामदगीस्थल आदि का निरीक्षण करने तथा अन्य कार्यवाही किये जाने के उपरान्त बाद विवेचना अभियुक्त राजेश पाठक के विरुद्ध मु.अ.सं.- 391/2010, अन्तर्गत धारा 41, 411, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता के तहत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**7.** आरोप-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में दिनाँक 05.08.2010 को प्रसंज्ञान लेते हुए मामला सत्र परीक्षणीय होना

पाते हुए दिनाँक 06.01.2011 को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया गया। तदोपरान्त श्रीमान् जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, चन्दौली के आदेश दिनाँकित 17.05.2023 के अनुक्रम में प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद दिनाँक 03.06.2023 को इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ।

**8.** तत्कालीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली द्वारा दिनाँक 28.07.2012 को अभियुक्त राजेश पाठक के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा- 411, 413, 414 भा.दं.सं. में आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

**9.** सत्र परीक्षण संख्या-10/2011 में अभियुक्त राजेश पाठक के विरुद्ध अधिरोपित आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 04 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये है;

| **साक्षी संख्या** | **साक्षी का नाम** | **साक्ष्य की तिथि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| पी.डब्लू.-1 | राजनरायन पाण्डेय | दिनाँक 20.12.2014 एवं 29.07.2025 | तलाशी-सह-जब्ती सूची का साक्षी |
| पी.डब्लू.-2 | उपनिरीक्षक उमापति पाण्डेय | दिनाँक 05.08.2025 | प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमा जी.डी. के लेखक |
| पी.डब्लू.-3 | उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव | दिनाँक 31.01.2026 | वादी मुकदमा |
| पी.डब्लू.-4 | लल्लन सिंह यादव | दिनाँक 18.02.2026 | मामले के विवेचक |

**10.** अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है ;

| **क्रम संख्या** | **प्रदर्श** | **दस्तावेज का विवरण** |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श क-1 | तलाशी-सह-जब्ती सूची |
| 2. | प्रदर्श क-2 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 3. | प्रदर्श क-3 | कायमी मुकदमा जी.डी. |
| 4. | प्रदर्श क-4 | घटनास्थल की नक्शा-नजरी |
| 5. | प्रदर्श क-5 | अभियुक्त राजेश पाठक के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र |

**11.** अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित माल मुकदमाती प्रस्तुत किये गये है ;

| **क्रम संख्या** | **प्रदर्श** | **दस्तावेज का विवरण** |
|---|---|---|
| 1. | वस्तु प्रदर्श-1 लगायत वस्तु प्रदर्श-4 | अभियुक्त के ससुर के घर से बरामद माल मुकदमाती |

**12.** अभियुक्त राजेश पाठक का परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया जाना कहा गया तथा विवेचक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विवेचना करते हुये गलत आरोप-पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। स्वयं को निर्दोष होने का अभिवाक करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि, मुझे इस मुकदमें में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना कहा गया है।

**13.** अभियुक्त की ओर से सफाई में साक्ष्य देने का कथन स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किया गया है किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**14.** राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को क्रम से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

**<u>निष्कर्ष</u>**

**15.** अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना है। न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को किस हद तक साबित करने में सफल रहा है?

**16.** अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, मु.अ.सं. 363/2010, धारा- 379 भा. दं.सं. एवं अन्य चोरियों के सामान को अभियुक्त राजेश पाठक की निशानदेही पर उसके ससुर राजेन्द्र शर्मा पुत्र हरिहर शर्मा, निवासी- रानीगंज नीचे बाजार, थाना- इमामगंज, जनपद- गया के घर से वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव एवं अन्य पुलिस पार्टी द्वारा दिनाँक 26.06.2010 को 16:45 बजे बरामद किया गया है, जिसकी जब्ती-सूची मौके पर वादी मुकदमा द्वारा अपने हस्तलेख में करने के पश्चात् थाना- जी.आर.पी.मुगलसराय में आकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियोजन कथानक को अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के एवं चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्लू.-1 एवं पी.डब्लू.-3 ने न्यायालय के समक्ष स्वयं के सशपथ अभिकथनों से साबित किया है जिसमें साक्षी पी.डब्लू.-1 ने तलाशी-सह-जब्ती सूची को प्रदर्श क-1 के रुप में साबित किया है। औपचारिक साक्षी पी.डब्लू.-2 उमापति पाण्डेय, जो प्रस्तुत मामले के चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमा जी.डी. के लेखक है, ने अपने सशपथ साक्ष्य के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-2 एवं कायमी मुकदमा जी.डी. को प्रदर्श क-3 के रुप में साबित किया है। साक्षी पी.डब्लू.-4, जो प्रस्तुत मामले के विवेचक है, द्वारा घटनास्थल की

नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–4 एवं आरोप–पत्र को प्रदर्श क–5 के रुप में साबित किया है। वादी मुकदमा एवं जब्ती–सूची के साक्षीगण एवं औपचारिक साक्षीगण के सशपथ अभिकथनों एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त वर्णित अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजेश पाठक के विरुद्ध उक्त आरोपित अपराध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित है। अतः आरोपित अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

**17.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई चोरी की घटना कारित नहीं की गयी है और न ही उसकी निशानदेही पर मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. एवं अन्य चोरियों के सामान की बरामदगी हुई है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उसके ससुर के रानीगंज नीचे बाजार, थाना–इमामगंज, जनपद–गया से उक्त बरामदगी किया जाना कहा गया है, किन्तु उक्त बरामद सामानों को बरामदगीस्थल से नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करके सीधे मुगलसराय रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अपने सशपथ बयान में बरामद सामानों को मु.अ.सं. 363/2010 व मु.अ.सं. 391/2010 से सम्बद्ध होना कहा गया है, जो कि सम्भव नहीं है। क्योंकि दो चोरियों का सामान अलग–अलग होगा, ना कि एक ही बरामद सामान दोनो अपराधों की चोरियों से सम्बन्धित होगा। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप साबित नहीं होता है। परिणामतः अभियुक्त दोष–मुक्त किये जाने योग्य है।

**18.** साक्षी पी.डब्लू.–1 के साक्ष्य विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी तलाशी सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 का साक्षी है। इस साक्षी ने तलाशी सह–जब्ती सूची को प्रदर्श क–1 के रुप में साबित करते हुए अपने बयान मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनाँक 26.06.2010 को समय 16:45 बजे अभियुक्त राजेश पाठक, निवासी– बारी, थाना– सेमरी को रानीगंज नीची बाजार, थाना– दयालगंज, जनपद–गया में राजेश पाठक द्वारा पूर्व में चुराया गया सामान, जो मु.अ.सं. 363/2010, धारा–379 भा.दं.सं. व अन्य चोरियों का माल की बरामदगी वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के साथ मैं तथा अन्य हमराहीगण गये थे। आरक्षी हरिहर शर्मा व संतोष कुमार तिवारी रानीगंज नीची बाजार के समक्ष निम्न सामान हम लोगों ने बरामद किया था।

**19.** इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि माल आज न्यायालय में नहीं आया है। इस मुकदमें का माल किस मुकदमें के माल से कनेक्टेड है, मैं

नहीं बता सकता। जबकि इस साक्षी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में कहा है कि उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के साथ मैं तथा अन्य हमराहीगण अभियुक्त द्वारा अन्य चोरियों की माल बरामदगी हेतु रानीगंज नीचीबाजार, थाना दयालगंज, जनपद–गया, गया और अभियुक्त से अन्य चोरियों का माल बरामद हुआ था।

**20.** साक्षी पी.डब्लू.–1 ने आगे प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि इस मुकदमें के परिप्रेक्ष्य में मैं थाना बक्सर, जिला बक्सर गया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरे साथ उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव, का. भीम चौधरी, का. अनिल सिंह गये थे। जैसा कि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह थाना– बक्सर, जिला–बक्सर गया था कि नहीं, उसे याद नहीं है तो यह साक्षी यह कैसे बता सकता है कि उसके साथ उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव, का. भीम चौधरी व का. अनिल सिंह गये थे।

**21.** साक्षी पी.डब्लू.–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि मैं थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय से अपनी टीम के साथ कितने बजे निकले थे, समय मुझे याद नहीं है। दिनाँक 26.06.2010 को मैं थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय से बक्सर के लिए निकले थे। मैं बाईरोड सरकारी वाहन से बक्सर गया था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह साक्षी जिस सरकारी वाहन से बक्सर गया था, उसका नंबर क्या था।

**22.** साक्षी पी.डब्लू.–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि अभियुक्त राजेश पाठक के रिश्तेदार के घर से चोरी का माल बरामद हुआ था, जो रानीगंज में रहते थे। उस रिश्तेदार का नाम मुझे याद नहीं है। जो बरामद हुआ, वह चोरी गये सामानों के माल का था, मैं नहीं बता सकता हूँ। चोरी का माल बरामद होने के समय अभियुक्त मौके पर उपस्थित था। अभियुक्त राजेश पाठक की गिरफ्तारी कहाँ से हुई और कब हुई, मुझे याद नहीं है। जैसा कि साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेश पाठक द्वारा की गयी अन्य चोरियों का माल उसके रिश्तेदार के घर से बरामद हुआ था। इस साक्षी के उपरोक्त बयान से चोरी का सामान अभियुक्त राजेश पाठक के घर से बरामद न होकर उसके रिश्तेदार के घर से हुआ था। जिस रिश्तेदार के घर से चोरी का सामान बरामद हुआ था, उस रिश्तेदार का नाम क्या था, बताने में यह साक्षी असफल रहा है।

**23.** साक्षी पी.डब्लू.–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि बरामद सील माल को सीधे हम लोग जी.आर.पी. मुगलसराय ले आये और रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जिस थाने से अर्थात जिला बक्सर से माल बरामद हुआ, उस क्षेत्रीय जज साहब के यहाँ हम लोग माल सहित नहीं गये थे। बरामद शुदा माल आज न्यायालय में नहीं आया है।

**24.** यदि अभियुक्त द्वारा की गयी अन्य चोरियों का माल उसके रिश्तेदार के घर जिला–गया से बरामद हुआ था तो न्यायोचित यही था कि माल बरामद करने वाली पुलिस पार्टी द्वारा उसके सम्बन्धित जिले के न्यायालय के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर रेलवे मजिस्ट्रेट, मुगलसराय, चन्दौली के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था।

**25.** साक्षी पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमा जी.डी. को क्रमशः प्रदर्श क–2 एवं प्रदर्श क–3 के रुप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह कहना गलत है कि मैने वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के दबाव में आकर यह झूठा मुकदमा अभियुक्त राजेश पाठक के खिलाफ दर्ज कर लिया है।

**26.** साक्षी पी.डब्लू.–3 के साक्ष्य विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी मामले का वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 पर अपने बने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस साक्षी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में कहा है कि माल मुकदमाती आज न्यायालय प्रस्तुत है, जिसपर मु.अ.सं. 391/2010, धारा– 41/411/413/414 भा.दं.सं. अंकित है। जो सफेद कपड़े में सील–सर्व मुहर हालत में है। वह चार जगह सील सर्व मुहर हालत में है, जिसपर मेरे सहित अभियुक्त के हस्ताक्षर है। जिसे देखकर साक्षी ने तस्दीक किया कि यह वही माल मुकदमाती है जो अभियुक्त की निशानदेही पर इसके ससुरल से बरामद किया गया था, जिसपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1, वस्तु प्रदर्श–2, वस्तु प्रदर्श–3 एवं वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया।

**27.** इस साक्षी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि दौरान गिरफ्तारी पूछताछ में राजेश पाठक ने बताया कि बरामद माल के अलावा अन्य चोरियों का माल हमारे ससुराल रानीगंज नीची बाजार, जिला–गया, बिहार में रखा है। अपराध संख्या– 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. एस.बी.आई. थाना जी. आर.पी. मुगलसराय से सम्बन्धित होने पर माल व अन्य चोरियों के माल की बरामदगी की जब्ती सूची तैयार की गयी थी, जिसमें निम्न सामान थे। जब्ती सूची का स्थान राजेश पाठक के ससुर राजेन्द्र शर्मा पुत्र हरिहर शर्मा, ग्राम रानीगंज नीचे बाजार, थाना– दयालगंज, जिला– गया के मकान से हरिहर शर्मा पुत्र रामलोचन एवं संतोष कुमार पुत्र रामकृत प्रसाद, दोनो निवासी ग्राम रानीगंज नीचे बाजार, थाना– इमामगंज, जिला गया के समक्ष दिनाँक 26.06.2010 को 16:45 बजे की गयी।

**28.** साक्षी पी.डब्लू.–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वस्तु प्रदर्श–1 जो एयर बैग पर प्रदर्श पड़ा है, वह चोरी का सामान मु.अ.सं. 363/2010, धारा–

379 भा.दं.सं. से सम्बन्धित माल है तथा अन्य चोरियों का माल भी है। अन्य चोरियों के किस अपराध संख्या का है, मैं नहीं बता सकता। वस्तु प्रदर्श–2 जो एयर बैग के अन्दर चोरी का सामान है, वह मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. व अन्य चोरियों के सामान है। अन्य चोरियों में किस–किस अपराध संख्या से चोरी का माल है, मैं नहीं बता सकता। वस्तु प्रदर्श–1, 2 व 3 के सीलबन्द कपड़े के ऊपर अपराध संख्या– 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. नहीं लिखा गया है जबकि अपराध संख्या– 363/2010 से सम्बन्धित चोरी का सामान मैने अभियुक्त के ससुर के घर से बरामद किया था। न्यायालय में प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3 व 4 चोरी का माल प्रस्तुत किया गया। उसपर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि जब्ती के दो गवाह हरिहर शर्मा व संतोष कुमार को मैने अपनी जब्ती सूची में लिखा था तथा उनके हस्ताक्षर भी है। जब्ती सूची जो पत्रावली में संलग्न है, उस पर मु.अ.सं. 363/2010 लिखा गया है लेकिन बरामद चोरी का माल न्यायालय में प्रस्तुत जिसपर सील मोहर है, जिसपर वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3 व 4 डाला गया है, उस पर कहीं भी मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. नहीं लिखा गया है। मु.अ.सं. 391/2010 से सम्बन्धित कोई भी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। गिरफ्तारी सूचना मैने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया। गिरफ्तारी प्रपत्र (गिरफ्तारी सूचना) में न तो अपराध संख्या लिखा है, न धारा लिखा है और न थाना लिखा है, वह कॉलम लिखने में छूट गया है।

**29.** जैसा कि साक्षी पी.डब्लू.–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वस्तु प्रदर्श–1 व 2 एयर बैग के अन्दर से जो भी चोरी का माल बरामद हुआ है, वह मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. की चोरियों से सम्बन्धित है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने तथा अन्य हमराहियान ने मु.अ.सं. 363/2010 से सम्बन्धित चोरी का सामान अभियुक्त के ससुर के घर से बरामद किया था। इससे यह स्पष्ट है कि जो भी बरामदगी हुई है, वह अभियुक्त के ससुर के घर से हुई है, न कि अभियुक्त के घर से।

**30.** साक्षी पी.डब्लू.–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मु.अ.सं. 391/2010 से सम्बन्धित कोई भी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी तो अभियुक्त से मु.अ.सं. 391/2010 के मामले में किस चोरी का सामान बरामद हुआ, स्पष्ट नहीं है। साक्षी पी.डब्लू.–4 जो इस मामले का विवेचक है, ने भी अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मु.अ.सं. 363/2010 में भी वही सामान बरामद हुआ था, जो मु.अ.सं. 391/2010 में बरामद हुआ था। यदि दोनो चोरियों की अलग–अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है तो यह कैसे सम्भव है कि दोनो

ही चोरियों के सामान एक ही हो। पत्रावली पर संलग्न तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 के सम्यक् अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में प्रसंग के सामने :– मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भारतीय दण्ड संहिता एस.बी.आई., थाना– जी. आर.पी. मुगलसराय से सम्बन्धित चोरी का माल व अन्य चोरियों के माल बरामदगी के सम्बन्ध में। उपरोक्त इबारत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह इबारत दूसरे पेन से लिखा गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 में अन्य इबारत लिखने के उपरान्त उक्त इबारत लिखी गयी है जिससे तलाशी–सह–जब्ती सूची अपने–आप में संदेहास्प्रद हो जाती है।

**31.** साक्षी पी.डब्लू.–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि न्यायालय में प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श–1, 2, 3 व 4 चोरी का माल प्रस्तुत किया गया, जिसपर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि जब्ती सूची में दो गवाह हरिहर शर्मा एवं संतोष कुमार को मैने अपनी जब्ती सूची में लिया था तथा उनका हस्ताक्षर भी है। तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसपर साक्षी के रुप में हरिहर शर्मा एवं संतोष कुमार के हस्ताक्षर है लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से दोनो ही स्वतंत्र साक्षियों में से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे तलाशी–सह–जब्ती सूची प्रदर्श क–1 की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है।

**32.** साक्षी पी.डब्लू.–4 के साक्ष्य विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी मामले का विवेचक है। इस साक्षी ने नक्शा–नजरी बरामदगी स्थल को प्रदर्श क–4 एवं आरोप–पत्र को प्रदर्श क–5 के रुप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि अपराध संख्या– 363/2010 में भी वही सामान बरामद हुआ था जो अपराध संख्या– 391/2010 में बरामद हुआ था। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि यह सम्भव नहीं है कि दोनो चोरियों के माल एक ही हो। अपराध संख्या– 391/2010 में वही बरामदगी दिखायी गयी है जो अपराध संख्या– 363/2010 में चोरी हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि मु.अ.सं. 391/2010 में मु.अ.सं. 363/2010 के मामले में चोरी हुए माल को ही दिखाया गया है।

**33.** साक्षी पी.डब्लू.–4 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि यह चोरी का सामान अभियुक्त के ससुराल से बरामद हुआ था। फर्द की प्रति पत्रावली में नहीं है। मु.अ.सं. 391/2010 को मैने अपराध संख्या– 363/2010 से सम्बन्धित है, लेकिन अपराध संख्या– 363/2010 की फर्द इस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस साक्षी ने बयान मुख्य परीक्षा में साक्षी हरिहर शर्मा व संतोष कुमार के निशानदेही पर बरामदगीस्थल की नक्शा–नजरी बनाया जाना कहा गया है। प्रतिपरीक्षा में कहा

है कि यह भी कहना सही है कि वादी मुकदमा बरामदगीस्थल पर मेरे साथ नहीं गये थे।

**34.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मु.अ.सं. 391/2010, धारा– 411, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता के अभियुक्त राजेश पाठक को वादी मुकदमा राजेश प्रसाद यादव, उपनिरीक्षक, जी.आर.पी. मुगलसराय द्वारा अपने हमराहीगण के साथ दौरान गश्त मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन मुगलसराय के पश्चिमी ओवरब्रिज प्लेटफार्म संख्या– 5/6 स्थित पीपल के पेड़ के पास स्थित शुलभ शौचालय के पास से पकड़ा गया तथा मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. से सम्बन्धित चोरी के सामान को उसकी निशानदेही पर उसके ससुर राजेन्द्र शर्मा पुत्र हरिहर शर्मा, ग्राम रानीगंज नीचे बाजार, थाना– इमामगंज, जिला– गया के मकान से दिनाँक 26.06.2010 को समय 16:45 बजे बरामद किया गया तथा मौके पर ही जब्ती–सह–तलाशी सूची बनाकर थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 04 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें साक्षी पी.डब्लू.–3 वादी मुकदमा एवं पी.डब्लू.–1 फर्द बरामदगी का साक्षी है। लेकिन दोनों ही साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त की निशानदेही पर तथाकथित बरामदगी संदेहास्प्रद है। क्योंकि जहाँ साक्षी पी.डब्लू.–3 वादी मुकदमा ने अपने बयान में चोरी के सामान की बरामदगी अभियुक्त के ससुर राजेन्द्र शर्मा पुत्र हरिहर शर्मा के रानीगंज नीचे बाजार, थाना– इमामगंज, जिला गया से होना कहा गया है, वहीं साक्षी पी.डब्लू.–1 ने अभियुक्त राजेश पाठक के रिश्तेदार के घर से चोरी का माल बरामद हुआ था जो रानीगंज में रहता था। उस रिश्तेदार का नाम मुझे याद नहीं है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त को रेलवे स्टेशन मुगलसराय के प्लेटफार्म संख्या– 5/6 से गिरफ्तार करने एवं उसके द्वारा चोरी का सामान बरामद कराये जाने की संस्वीकृति के पश्चात् साक्षी पी.डब्लू.–3 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक उसे बिहार प्रान्त के गया जिले के थाना– इमामगंज स्थित ग्राम रानीगंज नीचे बाजार ले जाकर बरामदगी किया जाना कहा गया है किन्तु फर्द बरामदगी में रवानगी के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर कोई रवानगी जी.डी. ही उपलब्ध है। साक्षी पी.डब्लू.–1 जो फर्द बरामदगी का साक्षी है, ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेश पाठक के रिश्तेदार के घर से चोरी का माल बरामद हुआ था जो रानीगंज में रहता था। उस रिश्तेदार का नाम मुझे याद नहीं है। किसके बताने के आधार पर मैं और एस.आई. राजेश प्रसाद अभियुक्त राजेश पाठक के रिश्तेदार के घर पर गये थे, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। साक्षी पी.डब्लू.–3 ने भी अपने बयान में अभियुक्त राजेश

पाठक के रिश्तेदार के घर जाकर अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद होना कहा है। किन्तु इस साक्षी द्वारा भी अपनी रवानगी के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। **मथुरा प्रसाद मिश्रा प्रति उ.प्र. राज्य 2005(1) जे.आई.सी. 970 (इलाहाबाद)** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रुप से कहा है कि, थाने से पुलिस की रवानगी की जी.डी. को विधिसम्मत रूप से साबित कराया जाना आवश्यक है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे भी उक्त बरामदगी संदेहास्प्रद हो जाती है। अभियुक्त की निशानदेही पर मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. के मामले में चोरी गये सामानों एवं अन्य चोरियों के सामानों को बरामद होना अभियोजन द्वारा कहा गया है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मु.अ.सं. 363/2010, धारा– 379 भा.दं.सं. के मामले में कौन–कौन सा सामान चोरी हुआ था और न ही मु.अ.सं. 363/2010 के वादी मुकदमा को थाने पर बुलाकर उसकी शिनाख्त कार्यवाही कराया जाना ही अभियोजन द्वारा कहा गया है। साक्षी पी.डब्लू.–3 वादी मुकदमा ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त की निशानदेही पर मु.अ.सं. 363/2010 से सम्बन्धित चोरी के सामान की बरामदगी की जब्ती सूची दो स्वतंत्र गवाह हरिहर शर्मा एवं सन्तोष कुमार की मौजूदगी में बनाया गया था, जिसपर उनके हस्ताक्षर भी है। किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त स्वतंत्र साक्षियों को न्यायालय समक्ष परीक्षित न कराये जाने से कथित बरामदगी एवं जब्ती सूची संदेहास्प्रद हो जाती है। प्रस्तुत मामले के विवेचक, जिसे अभियोजन द्वारा बतौर पी. डब्लू.–4 परीक्षित कराया गया है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में यहाँ तक कहा है कि जो जब्ती सूची 363/2010 की मेरे समक्ष आयी थी, जिसकी मैने विवेचना किया था। 363/2010 में भी वही सामान बरामद हुआ था जो अपराध संख्या– 391/2010 में बरामद हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान में मु.अ.सं. 363/2010 में चोरी गये उन्हीं सामानों को बरामद होना कहा गया है, जो मु.अ. सं. 391/2010 के मामले में चोरी गये थे। इस प्रकार साक्षी के उपरोक्त बयान से मु.अ.सं. 391/2010 में मु.अ.सं. 363/2010 के मामले में चोरी हुए माल को ही दिखाया जाना, अभियुक्त की निशानदेही पर हुई बरामदगी को सन्देहास्प्रद बनाता है।

**35.** उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, अभियोजन, अभियुक्त राजेश पाठक पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 411, 413, 414 भा.दं.सं. को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त राजेश पाठक

को; उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–411, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

तद्नुसार सत्र परीक्षण संख्या 10/2011, मुकदमा अपराध संख्या 391/2010, थाना– जी.आर.पी. मुगलसराय, जनपद–चन्दौली के मामले में, अभियुक्त राजेश पाठक को; उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–411, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देते हुए दोष–मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा– 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू सात दिन के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करें, जो कि केवल छः माह तक बाध्यकारी रहेगा।

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

दिनाँक : 13.04.2026,

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

दिनाँक : 13.04.2026,

स्टेनोग्राफर– राजीव कुमार सिंह